



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28469

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1771/2026

नेहा शर्मा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: दुर्वेश कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्वेश कुमार और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना।
2. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल ने यह कथन किया कि वह प्राप्त निर्देशों के आधार पर मामले में बहस करने की स्थिति में हैं और वह कोई शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं तथा रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता को 25.02.2019 को नर्सिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। रिट याचिकाकर्ता ने 21.05.2024 से 16.09.2024 तक की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश का दावा किया था, जो उसे प्रदान किया गया था, हालांकि, दूसरी बार गर्भधारण करने के कारण, रिट याचिकाकर्ता ने 18.01.2026 से 16.07.2026 की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश लिया, जिसे तृतीय प्रत्यर्थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 20.01.2026 और 27.01.2026 के माध्यम से खारिज कर दिया गया।
4. उक्त आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित आदेश कायम नहीं रह सकते, विशेष रूप से तब जब दो साल का समय अंतराल, जिसे द्वितीय मातृत्व अवकाश प्रदान करने के उद्देश्य से लागू करने का प्रयास किया गया था, वह कानून की दृष्टि में अब मान्य आधार नहीं है, विशेष रूप से तब जब इस न्यायालय के 'सर्विस सिंगल' संख्या-323904/2019 (श्रीमती ऋचा शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), दिनांक 11.12.2019 को निर्णीत, और रिट-ए संख्या-4996/2022 (श्रीमती गुड्डी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) के निर्णयों में इसे नकार दिया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. दूसरी ओर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह मुद्दा ऋचा शुक्ला (उपर्युक्त) और श्रीमती गुड्डी (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय के आलोक में कवर्ड है और उनके अनुसार आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए तथा नया आदेश पारित करने के लिए मामला वापस भेजा जाना चाहिए।
7. मैंने किए गए तर्कों को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।
8. प्रत्यक्षतः, रिट याचिकाकर्ता का द्वितीय मातृत्व अवकाश इस आधार पर नकारा गया है कि इसे प्रथम मातृत्व अवकाश से दो वर्ष के भीतर दाखिल किया जा रहा है। पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि ऋचा शुक्ला (उपर्युक्त) और श्रीमती गुड्डी (उपर्युक्त) के निर्णय के आलोक में उक्त मुद्दा अब 'रेस इंट्रिगे' नहीं रह गया है कि जो वर्गीकरण किया जाना था जिसके तहत दो साल की समय सीमा होनी चाहिए, उसे नकार दिया गया है। अतः, आक्षेपित आदेश कायम नहीं रखे जा सकते।
9. तदनुसार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2026 और 27.01.2026 को रद्द किया जाता है।
10. दो महीने की अवधि के भीतर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामला वापस भेजा जाता है।

(माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

वीरेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"